

राजस्थान सरकार  
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

20 APR 2015

क्रमांक. 2(15)आयु./05 पार्ट

जयपुर, दिनांक -

आदेश

इलैक्ट्रोपैथी पद्धति को राज्य में लीगल आस्पेक्ट को जाँचने के लिए निम्न समिति गठित की जाती है :-

1. श्री गुरचरण सिंह गिल- अतिरिक्त महाधिवक्ता (अध्यक्ष)
2. श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता (सदस्य)
3. श्री बसन्त सिंह छाबा, सहायक सोलिसिटर जर्नल, भारत (सदस्य)
4. श्री भगवान सहाय कुमावत, सहायक विधि परामर्शी, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग (सदस्य सचिव)।


समिति इलैक्ट्रोपैथी से सम्बन्धित विभिन्न न्यायालयों द्वारा जारी आदेशों, भारत सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन/विचाराधीन/प्रस्तावों एवं पूर्व जारी आदेशों आदि समस्त तथ्यों का अध्ययन करेगी। उपरोक्त समिति 01 माह में रिपोर्ट मंत्री महोदय, आयुर्वेद विभाग को प्रस्तुत करेगी।

आज्ञा से,

— 50 —  
(यज्ञ मित्र सिंहदेव)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है --

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, आयुर्वेद विभाग।
2. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
3. रजिस्ट्रार, इंडिसन मेडिसिन बोर्ड, महावीर उद्यान के पास, बजाज नगर-जयपुर को यह भी निर्देशित किया जाता है समिति की बैठक में जलपान आदि की व्यवस्था आपके स्तर से करने का श्रम करावे।
4. सम्बन्धित सदस्य गण श्री.....।

  
सहायक शासन सचिव

S.R.

144  
22/04/2015

740  
22/4/15